FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम ....

[illegible] बनाम [illegible]

किस्म मुकदमा 111, 128 RLR act न 182/2020 सन ....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.07.20	प्रार्थी/~~वादी~~/~~अपीलांट~~ के वकील श्री नरपत सिंह ने यह प्रार्थना पत्र/~~वाद~~/~~अपील~~ धारा 111, 128 RLR act ~~राजस्थान काश्तकारी~~/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /~~प्रतिवादी~~/~~रेस्पोंडेंट~~ जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 08.09.20 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO), बायतु	
08/09/20	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील हुआ प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अत: प्रार्थी बहस पत्रावली दिनांक 24/09/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
24/09/20	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विप्रार्थीगणों की खातेदारी भूमि पास-पास आई हुई है प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खेतों के मध्य जो पुरानी माडे व डोले आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है।	

(हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 18:41:06 IST
Reason: SelfAttested

जिसमे प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों की सीमाओं का ध्यान नहीं पड़ता है। प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा तनाजा बना रहता है। इसलिए प्रार्थी को नेथमबन्दी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नेथमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेथमबन्दी आदेश किया जावे।

अत: प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेथमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर व सम्बन्धित भू० अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेथमबन्दी मौके पर, कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 18:41:06 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु जिला बाड़मेर

क्र/आवेदन/2020/705

राजस्व आवेदन संख्या –182/2020

दिनांक :–24/09/2020

प्रार्थी | बनाम | विप्रार्थीगण

श्री हनीफ खां पुत्र मोहम्मद खां वगैरा 14 जाति–मुसलमान निवासी–सुजाणियों की ढाणी, कसुम्बला भाटियान, तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर

श्री चनणाराम पुत्र विरधाराम वगैरा 22, निवासी–सुजाणियों की ढाणी, कसुम्बला भाटियान, तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा–सुजाणियों की ढाणी, पटवार मण्डल–कसुम्बला भाटियान, तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर खेत खसरा नम्बर 73, 76, 77, 88, 165/88, 166/88 रकबा क्रमशः 21.11, 00.03, 76.12, 51.09, 51.09 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500/– जमा कराकर करे तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

क्रमांक/आवेदन/2020/706-710

दिनांक :–24/09/2020

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, गिड़ा।
2. पटवारी हल्का, कसुम्बला भाटियान को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री हनीफ खां पुत्र मोहम्मद खां वगैरा 14।
4. विप्रार्थीगण श्री चनणाराम पुत्र विरधाराम वगैरा 22।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 18:41:06 IST
Reason: SelfAttested